प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (श्रम) क्र. 3034/2009

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: धनीराम

साथ ही

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5246/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5965/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5964/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5963/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5377/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5378/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5376/2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा एवं आदेश के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2011 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (श्रम) क्र. 3034/2009

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: धनीराम

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5246/2010

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: ब्रिज नंदन चंद्रा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5965/2010

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: बोधिराम यादव

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5964/2010

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: रामभरोस राठौर

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5963/2010

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: शिव प्रसाद सारथी

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5377/2010

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: बच्छराम कर्ष

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5378/2010

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: राधेलाल साहु

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5376/2010

याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: गजालाल बरेठ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित:

श्री वाई.एस. ठाकुर, उप-महाधिवक्ता, साथ श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता राज्य/याचिकाकर्ता के लिए।

श्री एस.पी. काले, अधिवक्ता उत्तरवादी के लिए ।

(दिनांक 2 फरवरी, 2011 के उद्घोषित किया गया)

1. उपर्युक्त सभी रिट याचिकाएं, अर्थात्, रिट याचिका (श्रम) क्र. 3034/2009, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5246/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5965/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5964/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5963/2010, समान तथ्यों और विधि के प्रश्नों से संबंधित हैं, अतः उन्हें इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. रिट याचिका (श्रम) क्र. 5377/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5378/2010, रिट याचिका (श्रम) क्र. 5376/2010 को दिनांक 27.11.2011 को सुना गया था और आदेश के लिए सुरक्षित किया गया था, जो समान तथ्यों और विधि के प्रश्नों से संबंधित हैं, अतः उन्हें भी इसी आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

3. तथ्य, संक्षिप्त रूप में, जैसा कि याचिकाकर्ता/राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित हैं:

रिट याचिका (श्रम) क्र. 3034/2009

इस याचिका में चुनौती दिनांक 11.12.2008 के अभिनिर्धारित को किया गया है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 13/आईडीए/2005(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बिना पिछला वेतन के बहाल करने का निर्देश दिया है । श्रम न्यायालय के सामने उत्तरवादी का मामला यह था कि वह दैनिक वेतन भोगी दिनांक 14.12.1979 से गोवंश सेवक के रूप में काम कर रहा था। उत्तरवादी ने यह दावा भी किया कि दिनांक 10.06.1987 को स्वास्थ्य समस्या के कारण वह दिनांक 11.06.1987 को चिकित्सा अवकाश पर गया। उत्तरवादी ने दिनांक 08.07.1997 के आदेश से गोवंश सेवक के रूप में मुंगेली पशु चिकित्सा अस्पताल में अपना कार्य भार ग्रहण किया । इसके बाद राज्य/याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.01.2001 के आदेश द्वारा दिनांक 18.01.2000 से उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। उक्त आदेश को उत्तरवादी द्वारा श्रम न्यायालय के सामने चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में बताया कि उत्तरवादी की नियुक्ति दिनांक 14.12.1979 को नहीं की गई थी, बल्कि वास्तव में उसकी नियुक्ति दिनांक 04.05.1984 को की गई थी। उत्तर में यह भी कहा गया कि चूंकि उत्तरवादी दिनांक 10.06.1987 से किसी सूचना के बिना अनुपस्थित रहा और साथ ही वह कलेक्टर की दर पर दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त था, चिकित्सा अवकाश या अन्यथा देने का कोई प्रश्न नहीं था। तथापि, दिनांक 23.05.1997 को, मानवीय आधार पर, याचिकाकर्ता विभाग ने उसे बहाल किया। दिनांक 14.01.2000 को, सात अन्य व्यक्तियों को हटाया गया था जो दिनांक 31.12.1998 के बाद दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किए गए थे, राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर। उत्तरवादी को उसके सेवा समाप्ति के कारण के बारे में सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के सामने यह भी कहा कि वह मुआवजा देने के लिए तैयार है, परन्तु उत्तरवादी को पुनः नियुक्ति देना उसके लिए संभव नहीं हो सकता है।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षिप्त रूप में 'अधिनियम, 1947') की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रिट याचिका (श्रम) क्र. 5246/2010

इस याचिका में चुनौती दिनांक 31.03.2010 के अभिनिर्धित को दी गई है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 32/आईडीए/2009(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बिना पिछला वेतन दिए बहाल करने का निर्देश दिया है। श्रम न्यायालय के सामने उत्तरवादी का मामला यह था कि वह याचिकाकर्ता के विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चौकीदार के पद पर दिनांक 01.01.1991 से 30.06.1996 तक काम कर रहा था। वह बिना किसी कारण के और अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया था, और साथ ही उसे उसकी छंटनी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि उत्तरवादी को किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.12.1998 के बाद की गई नियुक्तियों को छंटनी की गई थी और उत्तरवादी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष या विगत वर्ष में, उत्तरवादी 240 दिनों की अवधि के लिए काम नहीं करा था। इस प्रकार, उत्तरवादी अपनी छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी का दावा 14 वर्षों से विलंबित है, इस प्रकार उत्तरवादी के दावे को खारिज किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस याचिका में चुनौती दिनांक 31.03.2010 के अभिनिर्धित को दी गई है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 33/आईडीए/2009(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बहाल बिना विगत वेतन के बहाल करने का निर्देश दिया है। श्रम न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी का मामला यह था कि वह याचिकाकर्ता के विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर सहायक के पद पर 01.01.1989 से 30.06.1996 तक काम कर रहा था। वह बिना किसी कारण के और अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया था, और साथ ही उसे उसकी छंटनी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि उत्तरवादी को किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.12.1988 के बाद की गई नियुक्तियों की छंटनी की गई थी और उत्तरवादी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष या विगत वर्ष में, उत्तरवादी 240 दिनों की अवधि के लिए काम नहीं करा था। इस प्रकार, उत्तरवादी छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी का दावा 14 वर्षों से विलंबित है, इस प्रकार उत्तरवादी के दावे को खारिज किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

इस याचिका में चुनौती दिनांक 31.03.2010 के अभिनिर्धारित को दिया गया है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 30/आईडीए/2009(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बहाल बिना बकाया वेतन बहाल करने का निर्देश दिया है। श्रम न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी का मामला यह था कि वह याचिकाकर्ता के विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चौकीदार के पद पर दिनांक 01.08.1989 से 30.06.1996 तक काम कर रहा था। वह बिना किसी कारण के और अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया था, और साथ ही उसे उसकी छंटनी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि उत्तरवादी को किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.12.1988 के बाद की गई नियुक्तियों को छंटनी दी गई थी और उत्तरवादी की दैनिक मजदूर के रूप में सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष या विगत वर्ष में, उत्तरवादी को 240 दिनों की अवधि के लिए काम नहीं करा था। इस प्रकार, उत्तरवादी छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी का दावा 14 वर्षों से विलंबित है, इस प्रकार उत्तरवादी के दावे को खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

इस याचिका में चुनौती दिनांक 31.03.2010 के अभिनिर्धारित को दिया गया है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 28/आईडीए/2009(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बिना बकाया वेतन के बहाल करने का लिए निर्देश दिया है। श्रम न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी का मामला यह था कि वह याचिकाकर्ता के विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर मेसन, द्वितीय श्रेणी के पद पर दिनांक 01.05.1989 से 30.06.1996 तक काम कर रहा था। वह बिना किसी कारण के और अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया था, और साथ ही उसे उसकी छंटनी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि उत्तरवादी को किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.12.1988 के बाद की गई नियुक्तियों को छंटनी दी गई थी और उत्तरवादी की दैनिक मजदूर के रूप में सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष या विगत वर्ष में, उत्तरवादी 240 दिनों की अवधि के लिए

काम नहीं करा था। इस प्रकार, उत्तरवादी छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी का दावा 14 वर्षों से विलंबित है, इस प्रकार उत्तरवादी के दावे को खारिज किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

इस याचिका में चुनौती दिनांक 31.03.2010 के अभिनिर्धारित को दिया गया है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 39/आईडीए/2009(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बिना पिछले वेतन के बहाल करने का पूनः निर्देश दिया है। श्रम न्यायालय के सामने उत्तरवादी का मामला यह था कि वह याचिकाकर्ता के विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर स्थल सहायक के पद पर दिनांक 01.07.1989 से 30.06.1996 तक काम कर रहा था। वह बिना किसी कारण के और अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया था, और साथ ही उसे उसकी छंटनी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि उत्तरवादी को किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.12.1988 के बाद की गई नियुक्तियों को छंटनी दी गई थी और उत्तरवादी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष या विगत वर्ष में, उत्तरवादी 240 दिनों की अवधि के लिए काम नहीं करा था। इस प्रकार, उत्तरवादी छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी का दावा 14 वर्षों से विलंबित है, इस प्रकार उत्तरवादी के दावे को खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

इस याचिका में चुनौती दिनांक 31.03.2010 के अभिनिर्धारित को दिया गया है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 37/आईडीए/2009(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बिना पिछले वेतन के बहाल करने का निर्देश दिया है। श्रम न्यायालय के सामने उत्तरवादी का मामला यह था कि वह याचिकाकर्ता के विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर स्थल सहायक/चौकीदार के पद पर दिनांक 01.01.1990 से 30.06.1996 तक काम कर रहा था। वह बिना किसी कारण के और अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया था, और साथ ही उसे उसकी छंटनी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि उत्तरवादी को किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.12.1988 के बाद

की गई नियुक्तियों की छंटनी की गई थी और उत्तरवादी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष या विगत वर्ष में, उत्तरवादी 240 दिनों की अवधि के लिए काम नहीं करा था। इस प्रकार, उत्तरवादी छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी का दावा 14 वर्षों से विलंबित है, इस प्रकार उत्तरवादी के दावे को खारिज किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

इस याचिका में चुनौती दिनांक 31.03.2010 के अभिनिर्धारित को दिया गया है (संलग्नक पी/1) जो श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मामला क्र. 36/आईडीए/2009(निर्देश) में पारित किया गया था। इसमें श्रम न्यायालय ने राज्य को उत्तरवादी को सेवा में बिना पिछले वेतन के बहाल करने का निर्देश दिया है। श्रम न्यायालय के सामने उत्तरवादी का मामला यह था कि वह याचिकाकर्ता के विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर स्थल सहायक के पद पर दिनांक 01.07.1989 से 30.06.1996 तक काम कर रहा था। वह बिना किसी कारण के और अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया था, और साथ ही उसे उसकी छंटनी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि उत्तरवादी को किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 31.12.1988 के बाद की गई नियुक्तियों की छंटनी की गई थी और उत्तरवादी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष या विगत वर्ष में, उत्तरवादी 240 दिनों की अवधि के लिए काम नहीं किया था। इस प्रकार, उत्तरवादी छंटनी के लिए किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी का दावा 14 वर्षों से विलंबित है, इस प्रकार उत्तरवादी के दावे को खारिज किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, उत्तरवादी की छंटनी को अवैध पाया गया और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी को सेवा में बकाया वेतन भोगी के बिना बहाल करने के लिए निर्देश दिया।

4. श्री वाई.एस. ठाकुर, विद्वान उप-महाधिवक्ता, श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता के साथ राज्य/याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त सभी मामलों में, उत्तरवादी दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किए गए थे और इस प्रकार, उत्तरवादी किसी भी अनुतोष के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण बहाली देना प्रतिवादियों की सेवाओं को नियमित करने की मात्रा बन जाता है। उनकी नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी आधार पर थी, न कि संवैधानिक नियोजन योजना के अनुसार। श्री ठाकुर आगे यह भी

तर्क किया कि श्रम न्यायालय के सामने प्रस्तुत आवेदन लगभग 14 वर्षों के अत्यधिक विलंब से दायर की गई थी। वह मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यू.पी. बनाम अनिल कुमार मिश्रा एवं अन्य[1], वरिष्ठ अधीक्षक तार (यातायात), भोपाल बनाम संतोष कुमार सील एवं अन्य[2] के निर्णय का अवलंब लिया।

5. दूसरी ओर, श्री काले, उत्तरवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत तर्क किया कि अधिनियम, 1947 के प्रावधान एक अलग संहिता हैं जो यह प्रावधानित करता हैं कि एक कर्मचारी की स्थिति में, यदि वह विगत वर्ष में 240 दिनों से अधिक के लिए काम कर चुका है, तो अधिनियम, 1947 की धारा 25-च का अनुपालन करते हुए छंटनी भत्ते को दिया जाना आज्ञापक है। वर्तमान मामले में, चूंकि कोई मुआवजा नहीं दिया गया था, इस प्रकार, श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अन्यथा भी, श्रम न्यायालय ने बकाया वेतन भोगी के बिना बहाली का निर्देश दिया है। वह सर्वोच्च न्यायालय के हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य गोदाम निगम[3] के निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर ध्यान देने के बाद, याचिका और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद, यह विवादगस्त नहीं है कि उत्तरवादी दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किए गए थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया है (देखें: सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य[4]), संविधान की नियोजन योजना के अनुसार नहीं। यह प्रतिवादियों-कर्मचारियों का मामला नहीं है कि वे विधि के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए गए थे। अब विचार के लिए प्रश्न यह है कि यदि एक कर्मचारी विगत वर्ष में 240 दिनों के लिए काम कर चुका है और कर्मचारी को अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों के अनुसार छंटनी भत्ता प्रदान किए बिना हटा दिया गया है, तो क्या बहाली एक आवश्यक परिणाम है।

7. सर्वोच्च न्यायालय की तीन माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने समान तथ्यों पर विचार करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद में निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया:

> "5. हम उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन नहीं कर सकते। वहां कोई स्वीकृत पद मौजूद नहीं थे जिसके लिए कहा जा सके कि उन्हें नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति एक तदर्थ थी जिसकी प्रत्याशा में समाप्ति थी। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के सादृश्य पर उनके लिए कर्मकार का दर्जा कल्पना करना कठिन है, 240 दिनों के काम की समाप्ति के घटना को होना था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 240

1 (2005) 5 एसीसी 122
2 (2010) 6 एसीसी 773
3 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 1357
4 (2006) 4 एसीसी 1

दिनों के काम की समाप्ति से जो विधिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे मौजूदा परिस्थिति के लिए सादृश्य के रूप में सूचित किए जाने वाले परिणामों से पूरी तरह से अलग हैं। 240 दिनों के काम की समाप्ति विधि के अंतर्गत सेवा की समाप्ति के समय नियोक्ता पर कुछ दायित्व को आरोपित नहीं करती है। यह केवल नियोक्ता पर समाप्ति के समय कुछ दायित्व को लागू करती है। सादृश्य को विस्तारित या बढ़े हुए रूप में लेना और लागू करना यहां उप युक्त नहीं है।"

8. वरिष्ठ अधीक्षक तार (यातायात), भोपाल में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया है:

"9. विगत कुछ वर्षों में यह लगातार इसी न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि यहां तक कि यदि कर्म-चारी की समाप्ति अवैध है या निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में है, तो बहाली के साथ बकाया वेतन भोगी की अनुतोष स्वचलित नहीं है, और ऐसे मामलों में बहाली और बकाया वेतन भोगी के स्थान में मौद्रिक मुआवजा उपयुक्त हो सकता है।

10. हमारे में से एक द्वारा लिखे गए जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में हाल ही में नि-र्णय में, उपर्युक्त निर्णयों को नोटिस किया गया था और यह कहा गया था:

"7. यह सच है कि इस न्यायालय के पूर्व के दृष्टिकोण से कई निर्णयों में प्रतिबिंबित विधिक स्थिति यह थी कि यदि एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अवैध पाया गया था, तो पूर्ण बकाया वेतन भोगी के साथ बहाली की अनुतोष सामान्यतः अनुसरण करेगी। तथापि, हाल ही में, विधिक स्थिति में एक बदलाव आया है और मामलों की एक लंबी श्रृंखला में, इस न्यायालय ने लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि बहाली के साथ बकाया वेतन भोगी की अनुतोष स्वचलित नहीं है और दिए गए तथ्य परिस्थितियों में पूरी तरह से अनुपयुक्त हो सकती है भले ही कर्मचारी की समाप्ति निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में है। बहाली के स्थान में मुआवजा न्याय के उद्देश्यो को पूरा कर सकता है।

14. इस प्रकार यह देखा गया कि हाल के समय में निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के उल्लंघन में पारित एक छंटनी का आदेश, यद्यपि बहाली के अधिनिर्णय द्वारा अपास्त किया जा सकता है, परंतु स्वचलित रूप से पारित नहीं होना चा-हिए। बहाली के साथ पूर्ण बकाया वेतन भोगी की अनुतोष दैनिक मजदूर के मामले में विशेषकर, इस न्यायालय द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया है और इसके बजाय मुआवजा दिया गया है। इस न्यायालय ने एक दैनिक वेतन भोगी जो एक पद धारण नहीं करता है, और एक स्थायी कर्मचारी के बीच अंतर किया है।

11. उपर्युक्त विधिक स्थिति और इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कर्मकार लगभग 25 वर्ष पहले दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किए गए थे और उन्होंने मुश्किल से 2 या 3 वर्षों के लिए काम किया था, उन्हें बहाली और बकाया वेतन भोगी की अनुतोष न्यायसंगत नहीं कही जा सकती है, और इसके बजाय मौद्रिक मुआवजा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। हमारे विचार में, कर्मकार को रुपये 40,000/- का मुआवजा प्रत्येक न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। हम इसी अनुसार आदेश देते हैं। ऐसा भुगतान आज से छः सप्ताह के भीतर किया जाएगा अन्यथा यह वार्षिक 9% की दर से ब्याज वहन करेगा।"

9. हरजिंदर सिंह[3] में, संबंधित मुद्दा अधिनियम, 1947 की धारा 25-छ के प्रावधानों का अनुप्रयोग था जिसमें अंतिम आएगा पहले जाएगा का उद्देश्यो लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कर्मकार को यह साबित करने की आवश्यक ता नहीं है कि वह 12 कैलेंडर महीनों के दौरान 240 दिनों की अवधि के लिए काम कर चुका है। इस प्रकार, वही इस मामले के तथ्यों के लिए लागू नहीं है।

10. रमेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य[5] में, यह माना गया कि जहां अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों के उल्लंघन में कर्मकार की छंटनी की गई है, कर्मकार को अनुवर्ती सेवा लाभों के साथ बहाली के लिए निर्देश दिया जा सकता है, परंतु बकाया वेतन भोगी के बिना। माध्यमिक शिक्षा परिषद में सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा निर्धा-रित अनुपात, जिसमें यह माना गया कि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के गैर-अनुपालन के लिए बहाली स्वच-लित नहीं है, रमेश कुमार में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह एक सुस्थापित विधि है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के आभास से, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय, अनुच्छेद 141 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों पर बन्धनकारी है जब तक कि उसी को वृहद पीठ द्वारा अपवर्जित नहीं किया जाता है। (देखें शासकीय परिसमापक बनाम दयानंद एवं अन्य कंडिका[6] 75)

12. इस प्रकार, सुस्थापित विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि उपर्युक्त है, यहां तक कि यदि अधिनियम, 1947 की धारा 25-च के प्रावधानों के अनुसार कोई छंटनी भत्ता प्रदान नहीं किया गया था, उत्तरवादी स्वचलित रूप से बहाली के लिए पात्र नहीं होंगे। रिट याचिका (श्रम) क्र. 3034/2009 में उत्तरवादी 11.06.1987 से 07.07.1997 तक लगभग 10 वर्षों के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहा, और उसकी सेवाओं को दिनांक 14.01.2000 के आदेश द्वारा 18.01.2000 से समाप्त किया गया। अन्य सभी याचिकाओं में उत्तरवादी 30.06.1996 से सेवा बाहर हैं, और उन्होंने श्रम न्यायालय के सामने लगभग 14 वर्षों की अवधि के बाद समाप्ति के आदेश को चुनौती दी है। इस प्रकार, बहाली के बजाय, मौद्रिक मुआवजा न्याय के उद्देश्यो को पूरा करेगा। इस प्रकार, प्रत्येक उत्तरवादी रुपये 60,000/- के मुआवजे

5 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 897
6 (2008) 10 एसीसी 1

के लिए पात्र है। ऐसा भुगतान आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा, अन्यथा यह वार्षिक 9% की दर से ब्याज वहन करेगा।

13. इन याचिकाओं में प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.12.2008 (रिट (श्रम) क्र. 3034/2009 में) और सभी अन्य याचिकाओं में दिनांक 31.03.2010 को अपास्त किया जाता है।

14. उपर्युक्त सभी रिट याचिकाओं को उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shaantam Patil